(14) अ०वि०शी०सुदर्शन सिंह
1/16 विभाग

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

अधि0सं0–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 /श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत) को विभागीय अधिसूचना सं0–6562 दिनांक 07.08.2014 द्वारा कर्त्तव्य पालन के दौरान वरती गयी घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण, नैतिक अद्यमता एवं एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (I) (क) के तहत तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया गया था। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्र सं0–3518 दिनांक 11.09.2014 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' विभाग को प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि श्री सिन्हा जब ओ0एस0डी0 के रूप में पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय के कार्यालय में कार्यरत थे तब उनके द्वारा बलिया थाना कांड सं0–74/14 धारा–366 A/373/376/120 बी भा0द0वि0 के नामजद अभियुक्तों से पैसा मांगने एवं लड़कियों को मंगाने, मीट–मुर्गा का इन्तजाम कराने, अभियुक्त पक्ष को लाभ पहुँचाने के बदले अवैध रूप से लाभान्वित होने का आरोप श्रीमती रेणू देवी, पति–टुना खलीफा साकीन सतीचौडा थाना बलिया द्वारा लगाया गया तथा आवेदिका को झूठा फसाने के संबंध में प्रदत्त के रूप में ऑडियो सी0डी0 भी उपलब्ध कराया गया था। उक्त आरोप के संदर्भ में विभागीय ज्ञापन सं0–9130 दिनांक 24.10.2014 निर्गत किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–5982 दिनांक 21.08.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय जांच का निर्णय लिया गया तथा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्र सं0–425 दिनांक 26.10.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया। जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्र सं0–9659 दिनांक 08.12.2016 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित करने का पत्र भेजा गया, परन्तु आरोपी पदाधिकारी ने द्वितीय कारण पृच्छा से संबंधित पत्र को प्राप्त नहीं किया जिसके कारण दिनांक 30.12.2016 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र में इसे प्रकाशित कराया गया तथा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समाचार प्रकाशित होने के तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। आरोपी पदाधिकारी श्री सिन्हा ने आवेदन पत्र देकर अपना द्वितीय कारण पृच्छा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दिनांक 09.01.2017 को श्री सिन्हा का द्वितीय कारण पृच्छा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया गया, फिर भी श्री सिन्हा ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा ससमय विभाग को समर्पित नहीं किया। उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा के विरूद्ध गंभीर आरोप को देखते हुए संचालन पदाधिकारी ने आरोप को प्रमाणित बताया था जिसके आधार पर इन्हें अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया जा चुका था परन्तु इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब ससमय विभाग को समर्पित नहीं करने तथा बिहार लोक सेवा आयोग से सेवा

बर्खास्तगी का परामर्श विलंब से प्राप्त होने के कारण सेवा बर्खास्तगी का आदेश निर्गत नहीं किया जा सका तथा इसी बीच दिनांक 31.01.2017 को ये सेवानिवृत हो गये। सेवानिवृत हो जाने के कारण इस मामले को विभागीय संकल्प सं0–995 दिनांक 06.02.2017 द्वारा इन्हें दिनांक 31.01.2017 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43 बी के तहत इस मामले को सम्परिवर्तित किया गया। अतः संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी के बचाव अभिकथन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43 (बी) के तहत श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत) को निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता है :–

1. पेंशन एवं उपादान की 100% (सौ प्रतिशत) कटौती का दंड।
2. निलंबन अवधि दिनांक 07.08.2014 से 31.01.2017 के लिए इन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आरोपी पदाधिकारी इस विन्दु पर अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित कर सकते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

बंधित ज्ञाप सं0–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 2275 /पटना, दिनांक 16.03.17

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत) द्वारा मोहन प्रसाद श्रीवास्तव, मो0–कन्हौली विशुनदत्त, राजपुर टोला, पो0–रामकृष्ण आश्रम, बेला मुजफ्फरपुर/आई0टी0 प्रबंधक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संबंधित श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत) को अपने स्तर से तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16/03/17

सरकार के उप सचिव।